[2020] 12 एस. सी. आर 351

ए.

गुरुसीमरन सिंह नरूला बनाम

भारत संघ और ए. एन. आर.

2020 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 560 05 नवंबर, 2020

बी.

[अशोक भूषण**,** आर**.** सुभाष रेड्डी और एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.** जे**.]**

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005-नोवेल कोरोनावायरस रोग 2019 (कोविड-19)-महामारी-भारत के संविधान के यू/ए. 32 के तहत जनहित में दायर एक रिट याचिका जिसमें मानव पर सभी प्रकार के कीटाणुनाशकों के छिड़काव पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की मांग की गई है, माना जाता है कि मनुष्यों को कोविड-19 से बचाने के लिए-याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि हालांकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, प्रत्यर्थी नं. 1 ने अपनी दिनांकित सलाह के माध्यम से कहा था कि मनुष्य पर कीटाणुनाशक के छिड़काव की सिफारिश नहीं की जाती है, लेकिन भारत संघ ने रासायनिक आधारित कीटाणुशोधन सुरंगों के उपयोग, विज्ञापन और बिक्री को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है-आयोजितःजब प्रत्यर्थीगण नं. 1 ने परामर्श जारी किया है कि मानव शरीर पर कीटाणुनाशक के उपयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है और यह ध्यान में लाया गया है कि उक्त परामर्श के बावजूद, बड़ी संख्या में संगठन, सार्वजनिक अधिकारी मानव शरीर पर कीटाणुनाशक का उपयोग कर रहे हैं, यह प्रत्यर्थी के लिए आवश्यक था। 1 या तो इस तरह के उपयोग को रोकने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करना या लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यकता के अनुसार इस तरह के उपयोग को विनियमित करना-आपदा प्रबंधन अधिनियम, धारा 10,36 और अन्य प्रावधानों के प्रावधान न केवल सशक्तिकरण के प्रावधान हैं, बल्कि विभिन्न प्राधिकरणों पर अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोगों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने का कर्तव्य भी डालते हैं-इसलिए, प्रत्यर्थी नं। 1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत मानव के लिए रासायनिक/जैविक कीटाणुनाशकों के छिड़काव या धूमन से जुड़ी कीटाणुशोधन सुरंगों के उपयोग पर प्रतिबंध/विनियमन के संबंध में निहित शक्तियों के प्रयोग पर विचार कर सकता है और आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है-इसके अलावा, कृत्रिम पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने के संबंध में प्रत्यर्थीगणओं द्वारा समान विचार और निर्देश दिए जाएंगे।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

351 ए.

352 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 12 एस. सी. आर.

रिट याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** प्रत्यर्थी संख्या **1** की ओर से अभिलेख पर लाए गए अभिवचनों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि प्रत्यर्थी संख्या **1** की सलाह से मानव शरीर पर कीटाणुनाशक के छिड़काव की अनुशंसा नहीं की गई है, लेकिन प्रत्यर्थी संख्या **1** ने मानव शरीर पर कीटाणुनाशक के छिड़काव को रोकने या विनियमित करने के लिए उपरोक्त संदर्भ में कोई और कदम नहीं उठाया है।**[**पैरा **29] [367-**डी**-**ई**]**

बी.

2. आपदा प्रबंधन अधिनियम**, 2005** की धारा **10** के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की शक्तियां और कार्य**,** जो विशेष रूप से राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को संबंधित मंत्रालय और सरकार**,** राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों के विभागों द्वारा खतरे की स्थिति या आपदा के जवाब में किए जाने वाले उपायों के बारे में निर्देश देने का अधिकार देता है।अधिनियम**, 2005** की धारा **36** में भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है।**[**पारस **30** और **31] [367-**एफ**-**जी**]**

सी.

डी.

3. जब प्रत्यर्थी संख्या **1** ने परामर्श जारी किया है कि मानव शरीर पर कीटाणुनाशक के उपयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है और यह उसके ध्यान में लाया गया है कि उक्त परामर्श के बावजूद**,** बड़ी संख्या में संगठन**,** सार्वजनिक अधिकारी मानव शरीर पर कीटाणुनाशक का उपयोग कर रहे हैं**,** तो प्रत्यर्थी संख्या **1** के लिए यह आवश्यक था कि वह या तो इस तरह के उपयोग को रोकने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे या लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यकता के अनुसार इस तरह के उपयोग को विनियमित करे। आपदा प्रबंधन अधिनियम**,** धारा **10,36** और अन्य प्रावधानों के प्रावधान न केवल सशक्तिकरण के प्रावधान हैं**,** बल्कि विभिन्न प्राधिकरणों पर यह कर्तव्य भी डालते हैं कि वे अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोगों के सर्वोत्तम हित में कार्य करें। **[**पैरा **32]**

[369-बी-डी**]4.** इस न्यायालय को इस बात में कोई संदेह नहीं है कि केंद्र और राज्य महामारी को रोकने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं और सभी शमनकारी कदम उठा रहे हैं**,** लेकिन इस रिट याचिका में जो तथ्य दर्ज किए गए हैं**,** वे इंगित करते हैं कि वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी संख्या **1** द्वारा कुछ और करने की आवश्यकता थी**,** इसके अलावा सलाह जारी करने के अलावा कि मानव शरीर पर कीटाणुनाशक के उपयोग की सिफारिश नहीं की गई है।जब सार्वजनिक प्राधिकरण/संगठन ए का उपयोग कर रहे थे

ई.

एफ.

जी.

एच.

353

गुरुसीमरन सिंह नरूला बनाम भारत संघ और ए. एन. आर.

मानव शरीर पर रासायनिक/जैविक दोनों कीटाणुनाशक और इस प्रभाव के लिए विभिन्न अध्ययन हैं कि यह स्वास्थ्य और शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है।अनिश्चितता के बादल को दूर करने और उपयोग को विनियमित करने के लिए कुछ और कार्यों की आवश्यकता थी**,** भले ही यह या तो इस तरह के उपयोग को रोकने या उपयोग को विनियमित करने के लिए हो ताकि नागरिकों का स्वास्थ्य पर्याप्त रूप से सुरक्षित रहे।**[**पैरा **35] [369-**एफ-एच**]**

बी.

5. इस न्यायालय का विचार है कि निम्नलिखित निर्देश जारी करके रिट याचिका का निपटारा करने में न्याय का उद्देश्य पूरा किया जाए:**-i)** प्रत्यर्थी संख्या **1** आपदा प्रबंधन अधिनियम**, 2005** के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मनुष्यों के लिए रासायनिक/जैविक कीटाणुनाशकों के छिड़काव या धूमन से जुड़ी कीटाणुशोधन सुरंगों के उपयोग पर प्रतिबंध/विनियमन के संबंध में विचार कर सकता है और आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है।

सी.

या

(ii) मनुष्य के कृत्रिम पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने के संबंध में प्रत्यर्थीगणओं द्वारा ऊपर बताए गए समान विचार और निर्देश होंगे।**[**पैरा **42] [371-**एच**; 372-**ए-सी**]**

डी.

देविका विश्वास बनाम भारत संघ और अन्य, (2016) 10 एस. सी. सी. 726; पुलिस आयुक्त बनाम गोरधनदास

ई.

भंजी एयर 1952 एससी 16:[1952] एस. सी. आर. 135; एल. हिरडे

नारायण बनाम आयकर अधिकारी, बरेली, (1970) 2 एस. सी. सी. 355:[1971] 1 एस. सी. आर. 683; नगर परिषद, रतलाम बनाम.

श्री वर्दीचन और अन्य (1980) 4 एस. सी. सी. 162:[1981] 1 एस. सी. आर. 97-पर निर्भर।

एफ.

मामला कानून संदर्भ

(2016) 10 एस**.** सी**.** सी**. 726**

उस पर भरोसा करें

पैरा **19**

[1952] एससीआर **135**

उस पर भरोसा करें

पैरा **36**

[1971] 1 एससीआर **683**

उस पर भरोसा करें

पैरा **37**

जी.

[1981] 1 एससीआर **97**

उस पर भरोसा करें

पैरा **38**

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः2020 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 560।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

एच.

354

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 12 एस सी आर।

ए.

तुषार मेहता, एस. जी., सुश्री अनीता शेनॉय, वरिष्ठ अधिवक्ता, गुरमीत सिंह मक्कर, रजत नायर, अपूर्व कुरुप, रघुनाथ सेतुपति, टी. महेंद्रन, के. परी वेंधन, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी.

अशोक भूषण**,** जे।

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित में दायर इस रिट याचिका में मनुष्यों पर सभी प्रकार के कीटाणुनाशकों के छिड़काव पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की मांग की गई है, जो माना जा रहा है कि मनुष्यों को नोवेल कोरोनावायरस रोग 2019 (कोविड-19) से बचाने के लिए किया जा रहा है।

सी.

2. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू. एच. ओ.) ने नोवेल कोरोनावायरस रोग, 2019 (इसके बाद कोविड-19 के रूप में संदर्भित) को 11.03.2020 पर महामारी घोषित किया। महामारी के फैलने के बाद भारत सहित सभी देशों ने इस बीमारी को रोकने और अपने नागरिकों को कोविड-19 से बचाने के लिए अलग-अलग उपाय किए थे और अभी भी कर रहे हैं।29.03.2020 पर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यालयों सहित आम सार्वजनिक स्थानों के कीटाणुशोधन पर दिशानिर्देश जारी किए।दिशानिर्देशों में निहित दायरा निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैः-

डी.

“कार्यक्षेत्रः इस दस्तावेज़ का उद्देश्य कोविड-19 की रिपोर्ट करने वाले क्षेत्रों में कार्यालयों सहित आम सार्वजनिक स्थानों की पर्यावरणीय सफाई/कीटाणुशोधन के बारे में अंतरिम मार्गदर्शन प्रदान करना है।

ई.

कोरोनावायरस रोग 2019 (कोविड-19) एक तीव्र श्वसन रोग है जो एक नए कॉर्नवायरस (सार्स-कोव-2) के कारण होता है, जो ज्यादातर मामलों में श्वसन बूंदों, मामलों के साथ सीधे संपर्क और दूषित सतहों/वस्तुओं के माध्यम से भी फैलता है।हालांकि वायरस विभिन्न अवधि के लिए पर्यावरणीय सतहों पर जीवित रहता है, यह रासायनिक कीटाणुनाशकों द्वारा आसानी से निष्क्रिय हो जाता है।3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (ई. एम. आर. प्रभाग) ने कोविड-19 व्यवस्था के लिए लोगों पर कीटाणुनाशकों के छिड़काव के खिलाफ एक परामर्श जारी किया।भले ही उपरोक्त परामर्श में, व्यक्तियों या समूहों के छिड़काव की सिफारिश नहीं की गई थी, कई निकायों, संगठनों ने मानव शरीर को कीटाणुरहित करने के लिए छिड़काव सुरंगों का उपयोग करना शुरू कर दिया।राष्ट्रीय राजधानी प्रयोगशाला (वैज्ञानिक और ए परिषद) द्वारा दिनांकित 23.4.2020 प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी।

एफ.

जी.

एच.

355

गुरुसीमरन सिंह नरूला बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।] ए.

औद्योगिक अनुसंधान), जो सी. एस. आई. आर.-एन. सी. एल. पुणे-आई. सी. टी. मुंबई द्वारा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति थी, में कहा गया है कि धुंध आधारित स्वच्छता के उपयोग से पैरामेडिकल कर्मचारियों, पुलिस और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों सहित अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को सुरक्षा प्रदान करने की उम्मीद है।अन्य सार्वजनिक संगठनों ने भी विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर मनुष्यों को कीटाणुरहित करने के लिए पैदल मार्ग स्प्रे सुरंगों और अन्य उपायों का उपयोग करना शुरू कर दिया।4. अनुच्छेद 32 के तहत यह रिट याचिका 05.06.2020 पर दायर की गई है जिसमें निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की गई हैः-

बी.

“आई. मानव को कीटाणुरहित करने के उद्देश्य से रासायनिक कीटाणुनाशकों के छिड़काव या धूमन से युक्त कीटाणुनाशक सुरंगों के उपयोग, स्थापना, उत्पादन, विज्ञापन पर तुरंत प्रतिबंध लगाने के लिए मैंडमस या किसी अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जारी करें।

सी.

ii.मनुष्यों को कीटाणुरहित करने के उद्देश्य से जैविक कीटाणुनाशकों के छिड़काव या धूमन से युक्त कीटाणुनाशक सुरंगों के उपयोग, स्थापना, उत्पादन, विज्ञापन पर तुरंत प्रतिबंध लगाने के लिए मैंडमस या किसी अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जारी करें और/या

डी.

iii.मान्डमस की प्रकृति में एक रिट जारी करें या कोई अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या कीटाणुशोधन सुरंगों के उपयोग, स्थापना, उत्पादन, विज्ञापन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दें जो मनुष्यों को पराबैंगनी किरणों के संपर्क में लाते हैं और/या उन्हें कीटाणुरहित करते हैं।

ई.

iv.ऐसे अन्य आदेश और आगे के आदेश पारित करना जो तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में आवश्यक समझे जाएं।5. रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने दिनांकित 18.04.2020 परामर्श का उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया और CSIR-NCL, पुणे-ICT, मुंबई द्वारा जारी दिनांकित 23.04.2020 प्रेस विज्ञप्ति का भी उल्लेख किया है, जहां व्यक्तिगत सैर के बाहरी शरीर की सतह के स्वच्छता के लिए सुरंगों की सिफारिश की गई थी।6. रिट याचिका में याचिकाकर्ता का मामला यह है कि हालांकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने छिड़काव या धुएं के उद्देश्यों के लिए किसी भी स्व-दावा किए गए जैविक या आयुर्वेदिक कीटाणुनाशक के उपयोग को मंजूरी नहीं दी है और न ही मानव शरीर पर किसी भी रासायनिक कीटाणुनाशक को मंजूरी दी है, लेकिन कई संगठन/सार्वजनिक अधिकारी छिड़काव और धुएं के लिए रासायनिक कीटाणुनाशक का उपयोग कर रहे हैं।कई

एफ.

जी.

एच.

सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा कीटाणुनाशक सुरंग स्थापित करने की रिट याचिका के उदाहरण रिट याचिका में दिए गए हैं।

7. विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रकाशन पर भी भरोसा किया गया है जहां यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शरीर में ब्लीच या अन्य कीटाणुनाशक का छिड़काव और प्रवेश कोविड-19 से बचाव नहीं करेगा और खतरनाक हो सकता है।विश्व स्वास्थ्य संगठन का हवाला देते हुए, यह

अनुरोध किया जाता है कि पराबैंगनी (यूवी लैंप) का उपयोग हाथों और त्वचा के अन्य क्षेत्रों को कीटाणुरहित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित उन्नत कीटाणुनाशक सुरंग का भी उल्लेख किया गया है।

बी.

8. कीटाणुनाशक सुरंगों के उपयोग के खिलाफ सवाल उठाने वाले लेखों को भी याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भित किया गया है और उन पर भरोसा किया गया है।कुछ सामग्री जहाँ विभिन्न विशेषज्ञों ने यूवी प्रकाश और कीटाणुनाशक सुरंग के उपयोग की सिफारिश की है, उन्हें भी संदर्भित किया गया है।कुछ विशेषज्ञों और संगठनों द्वारा व्यक्त किए गए कई विसंगत टिप्पणियों को देखते हुए, रिट याचिका में ऊपर उद्धृत निर्देशों के लिए अनुरोध किया गया था।

सी.

डी.

9. यह न्यायालय 10.08.2020 पर प्रत्यर्थी संख्या 1-3 को नोटिस जारी करता है।प्रत्यर्थी Nos.4 को 6 तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, उन्हें पक्षों की श्रेणी से हटा दिया जाता है।प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दिनांक 01.09.2020 का एक जवाबी हलफनामा दायर किया है जिसमें विभिन्न रसायनों का उपयोग करके कीटाणुशोधन सुरंग के उपयोग और कीटाणुनाशकों के छिड़काव पर समीक्षा के संबंध में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में आयोजित दिनांकित 18.04.2020 के साथ-साथ दिनांकित 09.06.2020 की बैठक के कार्यवृत्त को रिकॉर्ड में लाया गया है।दिनांक 09.06.200 की बैठक की कार्यवाही पर ध्यान देते हुए, जहां कार्यवृत्त द्वारा कीटाणुनाशक छिड़काव की सिफारिश नहीं की गई थी, इस न्यायालय ने 07.09.2020 पर निम्नलिखित आदेश पारित कियाः-

ई.

एफ.

“ आदेश

भारत संघ की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है।पृष्ठ 40 पर जवाबी हलफनामे में बैठक की प्रति-अनुलग्नक 'जी' दिनांक 09.06.2020 को रिकॉर्ड में लाया गया है, जहां यह निर्णय लिया गया है कि कीटाणुनाशकों के छिड़काव की सिफारिश नहीं की जाती है।श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल प्रस्तुत करते हैं कि सभी संबंधितों को प्रासंगिक निर्देश और परिपत्र जारी किए जाएंगे।

जी.

जैसा कि विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने अनुरोध किया है, दो सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करें।"

एच.

357

गुरुसीमरन सिंह नरूला बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।] ए.

ए.

10. उपरोक्त आदेश के बाद, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा 'अनुपालन हलफनामा दिनांक 28.09.2020' शीर्षक से एक अन्य हलफनामा जिसमें ओ. एम. दिनांकित 23.09.2020 को रिकॉर्ड में लाया गया है, जिसमें दोहराया गया है कि किसी भी तरीके का उपयोग करके व्यक्तियों या समूहों पर कीटाणुनाशक का छिड़काव करने की सिफारिश नहीं की जाती है और इसलिए, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि ऐसी प्रथाओं को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू नहीं किया जाए। 11.फल और सब्जियों जैसी खाद्य वस्तुओं को कीटाणुरहित/निर्जंतुक करने के लिए पराबैंगनी (यूवी) किरणों के उपयोग के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा एक अतिरिक्त हलफनामा भी दायर किया गया है। याचिकाकर्ता ने समेकित जवाबी हलफनामा भी दायर किया है।एक आइडियल फ्लो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भी एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया है जो एक ऐसी कंपनी होने का दावा करती है जिसने दबाव वाले भाप कीटाणुनाशक कक्ष को विकसित और डिजाइन किया है।आवेदक प्रस्तुत करता है कि डिज़ाइन किए गए दबाव वाले भाप कीटाणुनाशक कक्ष में, प्राकृतिक तेलों को एक पायसी घोल में मिलाया जाता है।आवेदक का दावा है कि उत्पाद के विभिन्न स्वास्थ्य लाभ हैं।आवेदक ने आगे कहा कि रासायनिक कीटाणुनाशक का छिड़काव करने वाली कीटाणुनाशक सुरंगों और दबाव वाले कीटाणुनाशक कक्ष के बीच एक बड़ा अंतर है, रिट याचिका में मांगे गए किसी भी पूर्ण प्रतिबंध से आवेदक के व्यवसाय पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि रिट याचिका में उल्लिखित कीटाणुनाशक सुरंग से आवेदक के उत्पाद का बड़ा अंतर है।

बी.

सी.

डी.

12. हमने याचिकाकर्ता, श्री तुषार मेहता, प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान सॉलिसिटर जनरल और श्रीमती को व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए सुना है। अनीता शेनॉय, हस्तक्षेपकर्ता की वरिष्ठ अधिवक्ता।

ई.

13. याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि हालांकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, प्रत्यर्थीगण संख्या 1 ने अपने परामर्श दिनांक 18.04.2020 के माध्यम से कहा था कि मनुष्य पर कीटाणुनाशक के छिड़काव की सिफारिश नहीं की गई है, लेकिन भारत संघ ने रासायनिक आधारित कीटाणुशोधन सुरंगों के उपयोग, विज्ञापन और बिक्री को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि दुनिया में कहीं भी किसी भी विश्वसनीय स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया है जिसमें कहा गया है कि मानव कीटाणुशोधन सुरंगें कोविड-19 वायरस के खिलाफ प्रभावी हैं।इसके विपरीत, डब्ल्यू. एच. ओ., प्रत्यर्थी संख्या 1 और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा पर्याप्त स्वास्थ्य सलाह दी गई है कि सुरंगें मानव स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल उत्पादक और हानिकारक हैं।प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है जो कोविड-19 महामारी के खिलाफ मानव शरीर पर छिड़काव के लिए किसी भी जैविक घोल के उपयोग की सिफारिश करता है।

एफ.

जी.

एच.

14. याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि स्वास्थ्य अधिकारियों की किसी भी सिफारिश के अभाव में, देश भर में एक प्रवृत्ति है जहां लोग विभिन्न प्रकार के जैविक समाधानों के साथ स्व-प्रमाणित तथाकथित सुरक्षित कीटाणुशोधन सुरंगों का उत्पादन कर रहे हैं।याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि सुरंग में चलने के माध्यम से "मानव कीटाणुशोधन" की अवधारणा त्रुटिपूर्ण और गलत है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के अधिकार के आलोक में किसी भी कीमत पर इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

बी.

15. श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल, प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थी नंबर 1 ने मनुष्यों को कीटाणुरहित करने के उद्देश्य से रसायनों/जैविक कीटाणुनाशकों के छिड़काव या धूमन से जुड़ी कीटाणुशोधन सुरंग के उपयोग, स्थापना, उत्पादन, विज्ञापन के लिए कोई सलाह जारी नहीं की थी।विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जारी दिनांकित 18.04.2020 परामर्श का उल्लेख किया है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में आईडी1 पर आयोजित बैठक में कीटाणुशोधन सुरंग के उपयोग की समीक्षा की गई और यह दोहराया गया कि स्वास्थ्य देखभाल और गैर-स्वास्थ्य देखभाल

दोनों स्थितियों में कीटाणुनाशक का छिड़काव करने की सिफारिश नहीं की जाती है।श्री मेहता प्रस्तुत करते हैं कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिनांकित 18.04.2020 दिशानिर्देशों को लागू करना होगा और भारत सरकार की भूमिका आवश्यक दिशानिर्देश और वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है।

सी.

डी.

16. हस्तक्षेपकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक द्वारा डिज़ाइन किया जा रहा उत्पाद मानव कीटाणुनाशक के रूप में किसी भी रसायन का उपयोग नहीं करता है, बल्कि यह प्राकृतिक तेल का उपयोग करता है जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।आवेदक मानव कीटाणुशोधन के लिए ऐसे उत्पादों के उपयोग पर किसी भी पूर्ण प्रतिबंध का विरोध करता है।

ई.

17. हमने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुत करने पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

एफ.

18. रिट याचिका निम्नलिखित तीन प्रश्न उठाती हैः-

I) क्या संबंधित मंत्रालय की मंजूरी के बिना मनुष्यों पर किसी भी प्रकार के रासायनिक कीटाणुनाशकों का छिड़काव या धूमन करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है?

जी.

(2) क्या संबंधित मंत्रालय की मंजूरी के बिना मनुष्यों पर किसी भी प्रकार के स्व-घोषित जैविक कीटाणुनाशक का छिड़काव या धूमन करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है?

III) क्या कृत्रिम पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है?

एच.

359

गुरुसीमरन सिंह नरूला बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।] ए.

ए.

उपरोक्त सभी प्रश्नों को आपस में जोड़ा जा रहा है और उन्हें एक साथ लिया जा रहा है।

19. संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'जीवन' का व्यापक महत्व और अर्थ है।अनुच्छेद 21 में ऐसे अधिकारों का एक समूह शामिल है जिन्हें इस देश की विधायिका और इस न्यायालय सहित

इस देश के न्यायालयों द्वारा समय-समय पर मान्यता दी गई है।अनुच्छेद 21 के तहत मान्यता प्राप्त जीवन का अधिकार गरिमा के साथ जीने का अधिकार है।स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में भी मान्यता दी गई है।हम देविका विश्वास बनाम इस मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं।

बी.

भारत संघ और अन्य, (2016) 10 एस. सी. सी. 726, जहां यह न्यायालय

सी.

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकार का एक अभिन्न पहलू है।स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित इस न्यायालय के पैराग्राफ 107 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया हैः-

“107. यह अच्छी तरह से साबित है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में गरिमापूर्ण और सार्थक जीवन जीने का अधिकार शामिल है और स्वास्थ्य का अधिकार इस अधिकार का एक अभिन्न पहलू है।सीईएससी लिमिटेड बनाम.सुभाष चंद्र बोस ने श्रमिकों के स्वास्थ्य के अधिकार के बारे में बात करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के अधिकार को न केवल संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सूचित सामाजिक न्याय का एक पहलू माना जाना चाहिए, बल्कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में भी बताया जाना चाहिए, जिसमें भारत एक पक्ष है।इसी तरह, पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाम में जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के न्यूनतम दायित्वों का उल्लेख किया गया था। स्टेट ऑफ डब्ल्यू. बी. "

डी.

ई.

20. वर्तमान मामले में, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य का अधिकार विचाराधीन है।आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (इसके बाद अधिनियम, 2005 के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों को अधिनियम, 2005 के तहत गठित विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए लागू किया गया है।कोविड-19 भारत सरकार द्वारा अधिनियम, 2005 के उद्देश्यों के लिए एक अधिसूचित आपदा है।

एफ.

21. अधिनियम, 2005 आपदाओं और उनसे जुड़े और आकस्मिक मामलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक अधिनियम है।आपदा प्रबंधन में आपदा के खतरे/खतरे की रोकथाम, आपदा के जोखिम को कम करना या कम करना, आपदा से निपटने की तैयारी और किसी भी खतरनाक आपदा या आपदा के लिए त्वरित प्रतिक्रिया शामिल है।

जी.

एच.

etc.Under धारा 3, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की साबित अधिनियम के उद्देश्यों के लिए की गई है। धारा 8 राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के गठन का प्रावधान करती है।धारा 10 राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है।राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को अपने कार्यों के निर्वहन में राष्ट्रीय प्राधिकरण की सहायता करनी है और राष्ट्रीय प्राधिकरण की नीतियों और योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।धारा 10 की उप-धारा (2) में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की विभिन्न शक्तियों और कार्यों की गणना की गई है।धारा 10 जो इस मामले के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार हैः-

बी.

सी.

“10. राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की शक्तियाँ और कार्य।—

(1) राष्ट्रीय कार्यकारी समिति अपने कार्यों के निर्वहन में राष्ट्रीय प्राधिकरण की सहायता करेगी और राष्ट्रीय प्राधिकरण की नीतियों और योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी होगी और देश में आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

डी.

(2) उप-धारा (1) में निहित प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति-(क) आपदा प्रबंधन के लिए समन्वय और निगरानी निकाय के रूप में कार्य कर सकती है।

ई.

(ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय योजना तैयार करना;

एफ.

(ग) राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करना।

(घ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों और राज्य प्राधिकरणों द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करना;

जी.

(ङ) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने के लिए राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना।

एच.

361

गुरुसीमरन सिंह नरूला बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।] ए.

(च) राष्ट्रीय योजना के कार्यान्वयन और भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा तैयार की गई योजनाओं की निगरानी करना;

(छ) अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में मंत्रालयों या विभागों द्वारा आपदाओं की रोकथाम और शमन के उपायों को एकीकृत करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना;

बी.

(ज) सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों और एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले शमन और तैयारी उपायों की निगरानी, समन्वय और निर्देश देना।

सी.

(i) किसी भी खतरनाक आपदा या आपदा का जवाब देने के उद्देश्य से सभी सरकारी स्तरों पर तैयारियों का मूल्यांकन करें और ऐसी तैयारी बढ़ाने के लिए, जहां आवश्यक हो, निर्देश दें;

(जे) विभिन्न स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्ताओं के लिए आपदा प्रबंधन के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाना और उनका समन्वय करना।

डी.

(के) किसी भी खतरनाक आपदा की स्थिति या आपदा की स्थिति में प्रतिक्रिया का समन्वय करना;

(एल) भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों या विभागों, राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों के लिए किसी भी खतरनाक आपदा की स्थिति या आपदा के जवाब में उनके द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में दिशा-निर्देश निर्धारित करना या उन्हें निर्देश देना;

ई.

(एम) सरकार के किसी भी विभाग या एजेंसी से राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरणों को ऐसे व्यक्ति या सामग्री संसाधन उपलब्ध कराने की अपेक्षा करता है जो आपातकालीन प्रतिक्रिया, बचाव और राहत के उद्देश्यों के लिए उसके पास उपलब्ध हैं;

एफ.

(एन) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों, राज्य प्राधिकरणों, वैधानिक निकायों, अन्य सरकारी या गैर-सरकारी संगठनों और आपदा प्रबंधन में लगे अन्य लोगों की गतिविधियों को सलाह, सहायता और समन्वय प्रदान करना; (ओ) इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य प्राधिकरणों और जिला प्राधिकरणों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना या सलाह देना;

जी.

एच.

(पी) आपदा प्रबंधन के संबंध में सामान्य शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना; और

(क्यू) ऐसे अन्य कार्यों का पालन करें जो राष्ट्रीय प्राधिकरण को करने की आवश्यकता हो सकती है।"

22. अधिनियम, 2005 की धारा 10 खंड (i) और (l) की उप-धारा (2) के तहत शक्तियां दिनांक 11.03.2020 की अधिसूचना द्वारा सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को सौंप दी गई हैं।11.03.2020 दिनांकित अधिसूचना इस प्रकार हैः-

बी.

"आदेश

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 69 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय गृह सचिव राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एन. ई. सी.) के अध्यक्ष होने के नाते आपदा

प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10 की उप-धारा (2) के खंड (i) और (l) के तहत अपनी शक्तियों को सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को नोवेल कोरोनावायरस (कोविड-19) और उससे जुड़े अन्य सहायक मामलों की तैयारी और रोकथाम को बढ़ाने के लिए सौंपते हैं।यह आदेश 17 जनवरी, 2020 से प्रभावी माना जाएगा।

सी.

डी.

(संजीव कुमार जिंदल)

संयुक्त सचिव

ई.

भारत सरकार "23. इस प्रकार यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव हैं, जिन्हें भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों या विभागों, राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों को किसी भी विघटनकारी स्थिति या आपदा के जवाब में उनके द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में दिशानिर्देश निर्धारित करने या निर्देश देने थे।महामारी ने देश के पूरे नागरिक के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है और कोविड-19 महामारी से संबंधित सभी पहलुओं, इसकी रोकथाम, शमन और उपचार से निपटा जाना है और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 सहित विभिन्न कानूनों के तहत विभिन्न कर्तव्यों और कार्यों के साथ सशक्त अधिकारियों का ध्यान रखा जाना है। 24.हम सबसे पहले 18.04.2020 दिनांकित परामर्श का उल्लेख कर सकते हैं जो कोविड-19 प्रबंधन के लिए लोगों पर कीटाणुनाशक के छिड़काव के खिलाफ जारी किया गया था।दिनांकित 18.04.2020 परामर्श में कहा गया है:-

एफ.

जी.

" कोविड-19 प्रबंधन के लिए लोगों पर कीटाणुनाशक के छिड़काव के खिलाफ सलाह ए

एच.

363

गुरुसीमरन सिंह नरूला बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।] ए.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को व्यक्तियों पर कीटाणुरहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सोडियम हाइपोक्लोराइट स्प्रे जैसे कीटाणुनाशकों की प्रभावकारिता (यदि कोई हो) के बारे में कई प्रश्न प्राप्त हुए हैं।ऐसा लगता है कि इस रणनीति ने मीडिया का बहुत

ध्यान आकर्षित किया है और कथित तौर पर कुछ जिलों/स्थानीय निकायों में स्थानीय स्तर पर भी इसका उपयोग किया जा रहा है।

बी.

दस्तावेज़ का उद्देश्य

मानव शरीर को कोविड-19 से कीटाणुरहित करने के लिए छिड़काव के रूप में कीटाणुनाशकों का उपयोग करने की योग्यता की जांच करना और उचित सलाह प्रदान करना।

सी.

कीटाणुनाशक रसायन हैं जो रोग पैदा करने वाले रोगजनकों या अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं।यह निर्जीव वस्तुओं पर उनके मजबूत रासायनिक गुणों के कारण लगाए गए पदार्थों को संदर्भित करता है।

रासायनिक कीटाणुनाशकों की सिफारिश केवल उन लोगों द्वारा बार-बार छुए जाने वाले क्षेत्रों/सतहों की सफाई और कीटाणुशोधन के लिए की जाती है जिन्हें कोविड-19 होने का संदेह या पुष्टि होती है।सफाई के लिए कीटाणुनाशकों का उपयोग करते समय एहतियाती उपाय अपनाए जाने चाहिए-जैसे कीटाणुशोधन के दौरान दस्ताने पहनना।उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित परामर्श जारी किया गया हैः

डी.

ई.

• किसी भी परिस्थिति में व्यक्तियों या समूहों के छिड़काव की अनुशंसा नहीं की जाती है। किसी व्यक्ति या समूह पर रासायनिक कीटाणुनाशकों का छिड़काव करना शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक है।

• भले ही कोई व्यक्ति संभावित रूप से कोविड-19 वायरस के संपर्क में हो, शरीर के बाहरी हिस्से पर छिड़काव करने से आपके शरीर में प्रवेश करने वाले वायरस की मृत्यु नहीं होती है। इसके अलावा यह सुझाव देने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि वे बाहरी कपड़ों/शरीर को प्रभावी तरीके से कीटाणुरहित करने में भी प्रभावी हैं।

एफ.

• व्यक्तियों पर क्लोरीन के छिड़काव से आंखों और त्वचा में जलन हो सकती है और संभावित रूप से जठरांत्र संबंधी प्रभाव जैसे मतली और उल्टी हो सकती है।सोडियम हाइपोक्लोराइट के साँस लेने से नाक, गले, श्वसन पथ में श्लेष्म झिल्ली की जलन हो सकती है और ब्रोंकोस्पाज़्म भी हो सकता है।

जी.

• इसके अतिरिक्त इस तरह के उपायों का उपयोग वास्तव में कीटाणुशोधन और सुरक्षा की झूठी भावना का कारण बन सकता है और वास्तव में जनता को बाधित कर सकता है।

एच.

हाथ धोने और सामाजिक दूरी के उपायों का पालन करना।"25. भले ही उपरोक्त परामर्श स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा जारी किया गया था जिसमें कोविड-19 प्रबंधन के लिए लोगों पर कीटाणुनाशक का छिड़काव करने की सिफारिश नहीं की गई थी, लेकिन अन्य निकायों और संगठनों द्वारा कई विपरीत राय व्यक्त की गई है।इस संदर्भ में, एन. सी. एल. (सी. एस. आई. आर.) द्वारा दिनांकित संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति 23.04.2020 का संदर्भ दिया गया है।दिनांकित 23.04.2020 प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है:-

बी.

"प्रकाशन और विज्ञान संचार इकाई प्रेस विज्ञप्ति

23 अप्रैल**, 2020** स्प्रे सुरंगों और उनके वैज्ञानिक डिजाइन के माध्यम से चलने में कीटाणुनाशक की सुरक्षित सांद्रता

सी.

संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिःसीएसआईआर**-**एन**.** सी**.** एल**.** पुणे और आई**.** सी**.** टी**.** मुंबई

सी. एस. आई. आर.-राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (सी. एस. आई. आर.-एन. सी. एल.), पुणे ने धुंध स्वच्छता प्रणाली के लिए प्रभावी रासायनिक कीटाणुनाशक खोजने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट की विभिन्न सांद्रता का मूल्यांकन किया।धुंध-आधारित स्वच्छता के उपयोग से पैरामेडिक कर्मचारियों, पुलिस और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों सहित अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य पेशेवरों को सुरक्षा प्रदान करने की उम्मीद है।इन लोगों को संक्रमण होने और अनजाने में विभिन्न स्रोतों से फैलने की संभावना अधिक होती है।विभिन्न एजेंसियों से ऐसी सुरंगों के उपयोग के खिलाफ बहुत सारी सलाहें सामने आई हैं, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

डी.

ई.

सोडियम हाइपोक्लोराइट, जिसे हाइपो या ब्लीच के रूप में भी जाना जाता है, की प्रभावशीलता का अध्ययन धुंध सुरंग इकाई से गुजरने वाले कर्मियों पर किया गया था, इसके अलावा चलने से पहले और बाद में मानक सूक्ष्मजीवों के खिलाफ जीवाणुरोधी गतिविधि का अध्ययन किया गया था।परिणामों ने संकेत दिया कि 0.02% से 0.05% वजन की सांद्रता ने सामान्य त्वचा वनस्पतियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखाया और फिर भी मानक रोगाणुओं को नष्ट कर दिया।इस प्रकार, हम 0.02%-0.05 डब्ल्यूटी का उपयोग करने की सलाह देते हैं।% बाहरी शरीर की सतह के स्वच्छता के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल (200 से 500 पीपीएम) मानक सुरक्षा सावधानियों का पालन करते हुए धुंध सुरंग से गुजरते हैं।26. याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में विभिन्न लेखों का भी उल्लेख किया है जहां विभिन्न विशेषज्ञों ने प्रभावी ए के लिए सिफारिश की है।

एफ.

जी.

एच.

365

गुरुसीमरन सिंह नरूला बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।] ए.

कीटाणुशोधन सुरंगों द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच स्वच्छता, मानव शरीर के कीटाणुशोधन के पक्ष और विपक्ष में विभिन्न अध्ययनों को रिट याचिका में संदर्भित किया गया है और उन पर भरोसा किया गया है।

27. याचिका में नोटिस जारी होने के बाद जवाबी हलफनामा दायर किया गया।काउंटर एफिडेविट में प्रत्यर्थी संख्या 1 ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में हुई बैठक के कार्यवृत्त को भी रिकॉर्ड में लाया है, जहां कीटाणुशोधन सुरंगों के उपयोग पर समीक्षा की गई थी।कार्यवृत्त में दर्ज किए गए अवलोकन इस प्रकार हैंः-

बी.

“1. कीटाणुशोधन सुरंग का उपयोग

सी.

कोविड-19 के प्रबंधन के लिए लोगों पर कीटाणुनाशक का छिड़काव करने के मामले पर संयुक्त निगरानी समूह में चर्चा की गई और इस संबंध में एम. ओ. एच. एफ. डब्ल्यू./डी. जी. एच. एस., ई. एम. आर. प्रभाग द्वारा एक परामर्श जारी किया गया है जो मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।यह स्पष्ट रूप से निम्नलिखित बताता हैः

डी.

“किसी भी परिस्थिति में व्यक्तियों या समूहों के छिड़काव की अनुशंसा नहीं की जाती है।किसी व्यक्ति या समूह पर रासायनिक कीटाणुनाशकों का छिड़काव शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक है।

· भले ही कोई व्यक्ति संभावित रूप से कोविड-19 वायरस के संपर्क में हो, शरीर के बाहरी हिस्से पर छिड़काव करने से आपके शरीर में प्रवेश करने वाले वायरस की मृत्यु नहीं होती है। इसके अलावा यह सुझाव देने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि वे बाहरी कपड़ों/शरीर को प्रभावी तरीके से कीटाणुरहित करने में भी प्रभावी हैं।

ई.

· इसके अतिरिक्त इस तरह के उपायों के उपयोग से वास्तव में कीटाणुशोधन और सुरक्षा की झूठी भावना पैदा हो सकती है और वास्तव में हाथ धोने और सामाजिक दूरी के उपायों के सार्वजनिक पालन में बाधा आ सकती है।

एफ.

यह दोहराया जाता है कि व्यक्तियों पर कीटाणुनाशक (जैसे सुरंग, अलमारियाँ, कक्ष, आदि) का छिड़काव करने की अनुशंसा नहीं की जाती है।यह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक हो सकता है और संक्रमित व्यक्ति की बूंदों या संपर्क के माध्यम से वायरस फैलाने की क्षमता को कम नहीं करेगा।इसके अलावा, व्यक्तियों पर क्लोरीन और अन्य विषाक्त रसायनों का छिड़काव करने से आंखों और त्वचा में जलन हो सकती है, साँस लेने के कारण ब्रोंकोस्पाज़्म हो सकता है और मतली और उल्टी जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रभाव हो सकते हैं।

जी.

एच.

2. रसायनों का उपयोग

एम. ओ. एच. एफ. डब्ल्यू./डी. जी. एच. एस., ई. एम. आर. प्रभाग की सलाह के अनुसारः

रासायनिक कीटाणुनाशकों की सिफारिश केवल उन लोगों द्वारा बार-बार छुए जाने वाले क्षेत्रों/सतहों की सफाई और कीटाणुशोधन के लिए की जाती है जिन्हें कोविड-19 होने का संदेह या पुष्टि होती है।सफाई के लिए कीटाणुनाशकों का उपयोग करते समय एहतियाती उपाय अपनाए जाने चाहिए-जैसे कीटाणुशोधन के दौरान दस्ताने पहनना।व्यक्तियों पर क्लोरीन के छिड़काव से आंखों और त्वचा में जलन हो सकती है और संभावित रूप से जठरांत्र संबंधी प्रभाव जैसे मतली और उल्टी हो सकती है।सोडियम हाइपोक्लोराइट के साँस लेने से

नाक, गले, श्वसन पथ में श्लेष्म झिल्ली की जलन हो सकती है और ब्रोंकोस्पाज़्म भी हो सकता है।

बी.

सी.

अनुशंसित संपर्क समय के लिए मॉप्स/वाइप्स का उपयोग करके निर्जीव सतहों को कीटाणुरहित करने के लिए, संकेत के अनुसार ताजा तैयार 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट या 70 प्रतिशत इथेनॉल आदि जैसे रसायनों का उपयोग किया जाना चाहिए।

डी.

3. कीटाणुनाशकों का छिड़कावः

स्वास्थ्य देखभाल और गैर-स्वास्थ्य देखभाल दोनों स्थितियों में कीटाणुनाशकों का छिड़काव करने की अनुशंसा नहीं की जाती है।

इनडोर स्थानों में, छिड़काव या फॉगिंग (जिसे फ्यूमिगेशन या मिस्टिंग के रूप में भी जाना जाता है) द्वारा पर्यावरणीय सतहों पर कीटाणुनाशकों के नियमित अनुप्रयोग की कोविड-19 के लिए अनुशंसा नहीं की जाती है क्योंकि कीटाणुनाशक जैविक सामग्री को हटाने में प्रभावी नहीं हो सकते हैं और वस्तुओं, मुड़े हुए कपड़ों या जटिल डिजाइन वाली सतहों से ढकी सतहों को छोड़ सकते हैं।यदि कीटाणुनाशक लगाने हैं, तो यह एक कपड़े से किया जाना चाहिए या कीटाणुनाशक में भिगोए गए कपड़े को पोंछना चाहिए।

ई.

एफ.

कोविड-19 वायरस या अन्य रोगजनकों को मारने के लिए सड़कों या बाजारों जैसे बाहरी स्थानों पर छिड़काव या धूमन की भी सिफारिश नहीं की जाती है क्योंकि कीटाणुनाशक गंदगी और मलबे से निष्क्रिय हो जाता है और ऐसे स्थानों से सभी जैविक पदार्थों को हाथ से साफ करना और निकालना संभव नहीं है।इसके अलावा, फुटपाथों और बिना पक्की पगडंडियों जैसी छिद्रपूर्ण सतहों पर छिड़काव करना और भी कम प्रभावी होगा।कार्बनिक पदार्थों की अनुपस्थिति में भी, रासायनिक छिड़काव ए की अवधि के लिए सभी सतहों को पर्याप्त रूप से ढकने की संभावना नहीं है।

जी.

एच.

गुरुसीमरन सिंह नरूला बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।] ए.

रोगजनकों को निष्क्रिय करने के लिए आवश्यक संपर्क समय।इसके अलावा, सड़कों और फुटपाथ को कोविड-19 के लिए संक्रमण का भंडार नहीं माना जाता है।इसके अलावा, कीटाणुनाशकों का छिड़काव, यहां तक कि बाहर भी, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

समिति ने कोविड-19 के संदर्भ में पर्यावरणीय सतहों की सफाई और कीटाणुशोधन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दस्तावेज़ का उल्लेख किया।'

बी.

28. यह ध्यान देना भी प्रासंगिक है कि 01.09.2020 दिनांकित शपथ पत्र के पैराग्राफ 13 में निम्नलिखित कथन भी दिया गया है:"13. यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय हैं, इसलिए यह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों पर है कि वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को लागू करें और भारत सरकार की भूमिका आवश्यक मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है।

सी.

...."

डी.

29. प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से अभिलेख पर लाए गए अभिवचनों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि प्रत्यर्थी संख्या 1 की सलाह से मानव शरीर पर कीटाणुनाशक के छिड़काव की अनुशंसा नहीं की गई है, लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 1 ने मानव शरीर पर कीटाणुनाशक के छिड़काव को रोकने या विनियमित करने के लिए उपरोक्त संदर्भ में कोई और कदम नहीं उठाया है।

ई.

30. हमने अधिनियम, 2005 की धारा 10 के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की शक्तियों और कार्यों को ऊपर नोट किया है, जो विशेष रूप से राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को संबंधित मंत्रालय और सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों द्वारा खतरे की स्थिति या आपदा के जवाब में किए जाने वाले उपायों के बारे में निर्देश देने का अधिकार देता है।

एफ.

31. अधिनियम, 2005 की धारा 36 में भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है।धारा 36 जो मामले के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार हैः-

जी.

“36. मंत्रालयों या विभागों की जिम्मेदारियाँ

भारत सरकार।—यह भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय या विभाग की जिम्मेदारी होगी कि -

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आपदाओं की रोकथाम, शमन, तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक उपाय करना;

एच.

(ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आपदाओं की रोकथाम या शमन के उपायों को अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में एकीकृत करना;

(ग) राष्ट्रीय प्राधिकरण के दिशानिर्देशों या इस संबंध में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के निर्देशों के अनुसार किसी भी खतरनाक आपदा की स्थिति या आपदा के लिए प्रभावी ढंग से और तुरंत प्रतिक्रिया दें;

बी.

(घ) आपदाओं की रोकथाम, शमन या तैयारी के लिए आवश्यक प्रावधानों को शामिल करने की दृष्टि से इसके द्वारा प्रशासित अधिनियमों, इसकी नीतियों, नियमों और विनियमों की समीक्षा करना; (ङ) आपदा की रोकथाम, शमन, क्षमता निर्माण और तैयारी के उपायों के लिए धन आवंटित करना;

सी.

(च) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करना -

(i) आपदा प्रबंधन के संबंध में शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया योजनाएं, क्षमता निर्माण, डेटा संग्रह और कर्मियों की पहचान और प्रशिक्षण तैयार करना;

डी.

((ii) प्रभावित क्षेत्र में बचाव और राहत कार्य करना।

((iii) किसी भी आपदा से हुए नुकसान का आकलन करना; (iv) पुनर्वास और पुनर्निर्माण करना;

ई.

(छ) राष्ट्रीय कार्यकारी समिति या राज्य कार्यकारी समिति को किसी भी खतरनाक आपदा या आपदा के लिए तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के उद्देश्य से अपने संसाधन उपलब्ध कराना, जिसमें निम्नलिखित के लिए उपाय शामिल हैं -

एफ.

(i) किसी संवेदनशील या प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन संचार प्रदान करना;

((ii) प्रभावित क्षेत्र से कर्मियों और राहत सामग्री का परिवहन;

जी.

((ग) निकासी, बचाव, अस्थायी आश्रय या अन्य तत्काल राहत प्रदान करना।

((iv) अस्थायी पुलों, घाटों और उतरने के स्थानों की स्थापना;

एच.

369

गुरुसीमरन सिंह नरूला बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।] ए.

((v) प्रभावित क्षेत्र में पेयजल, आवश्यक प्रावधान, स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करना।

(ज) आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक अन्य कार्रवाई करें।"

32. जब प्रत्यर्थी संख्या 1 ने परामर्श जारी किया है कि मानव शरीर पर कीटाणुनाशक के उपयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है और यह उसके ध्यान में लाया गया है कि उक्त परामर्श के बावजूद, बड़ी संख्या में संगठन, सार्वजनिक अधिकारी मानव शरीर पर कीटाणुनाशक का उपयोग कर रहे हैं, तो प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए यह आवश्यक था कि वह या तो इस तरह के उपयोग को रोकने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे या लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यकता के अनुसार इस तरह के उपयोग को विनियमित करे।आपदा प्रबंधन अधिनियम, धारा 10,36 और अन्य प्रावधानों के प्रावधान न केवल सशक्तिकरण के प्रावधान हैं, बल्कि विभिन्न प्राधिकरणों पर यह कर्तव्य भी डालते हैं कि वे अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोगों के सर्वोत्तम हित में कार्य करें।

बी.

सी.

33. हमने जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 13 को निकाला है जहां प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा यह कहा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल, यह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है कि वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देशों को लागू करें और केंद्र सरकार की भूमिका आवश्यक दिशानिर्देश और वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है।

डी.

34. उपरोक्त अभिवचन में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है, लेकिन अधिनियम, 2005 के प्रावधान, दिशानिर्देश जारी करने और वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा प्रत्यर्थी संख्या 1 को कुछ और जिम्मेदारियां और कर्तव्य प्रदान करते हैं।अधिनियम, 2005 एक विशेष कानून है जिसमें आपदा से निपटने के लिए स्व-निहित प्रावधान हैं।महामारी के अधिनियम, 2005 के अर्थ में एक आपदा होने के कारण, इससे सख्ती और प्रभावी ढंग से निपटा जाना चाहिए।

ई.

एफ.

35. हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि केंद्र और राज्य महामारी को रोकने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं और सभी कम करने वाले कदम उठा रहे हैं, लेकिन इस रिट याचिका में जो तथ्य दर्ज किए गए हैं, वे इंगित करते हैं कि वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा कुछ और करने की आवश्यकता थी, इसके अलावा सलाह जारी करने के अलावा कि मानव शरीर पर कीटाणुनाशक के उपयोग की सिफारिश नहीं की जाती है।जब सार्वजनिक अधिकारी/संगठन मानव शरीर पर रासायनिक/जैविक दोनों कीटाणुनाशकों का उपयोग कर रहे थे और इस प्रभाव के लिए विभिन्न अध्ययन हैं कि यह स्वास्थ्य और शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है।अनिश्चितता के बादल को दूर करने और उपयोग को विनियमित करने के लिए कुछ और कार्यों की आवश्यकता थी, भले ही यह या तो इस तरह के उपयोग को रोकने या उपयोग को विनियमित करने के लिए हो ताकि नागरिकों का स्वास्थ्य पर्याप्त रूप से सुरक्षित रहे।

जी.

एच.

36. जब कोई कानून अधिकार को शक्ति प्रदान करता है और उस शक्ति का उपयोग सामान्य रूप से लोगों के लाभ के लिए किया जाना है, तो शक्ति को कर्तव्य के साथ जोड़ा जाता है।यह न्यायालय पुलिस आयुक्त बनाम

गोरधनदास भंजी, ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 16, विवियन बोस, जे., के माध्यम से बोलते हुए।

पैराग्राफ 28 में गैर-उद्धृत पूर्व स्थिति निर्धारित की गई थीः- "28. R.250 के तहत पुलिस आयुक्त को निहित विवेकाधिकार उन्हें बड़े पैमाने पर जनता की सुविधा, सुरक्षा, नैतिकता और कल्याण से जुड़े सार्वजनिक कारणों के लिए प्रदान किया गया है।सार्वजनिक कारणों से और सार्वजनिक लाभ के लिए प्रदान की गई इस तरह की सक्षम करने की शक्ति, हमारी राय में, परिस्थितियों की मांग होने पर इसका प्रयोग करने के कर्तव्य के साथ है।यह एक ऐसा कर्तव्य है जिसे टाला या स्थगित नहीं किया जा सकता है और न ही इसे टाला जा सकता है, इसके निष्पादन को धारा 45 के तहत मजबूर किया जा सकता है।"

बी.

सी.

37. इस न्यायालय ने फिर से एल. हिरडे नारायण बनाम आयकर अधिकारी, बरेली, (1970) 2 एस. सी. सी. 355 में इसी सिद्धांत को दोहराया।

निम्नलिखित शब्दः- "13.....यदि कोई कानून किसी लोक अधिकारी को परिस्थितियों के एक निर्दिष्ट समूह में कोई कार्य करने का अधिकार देता है, तो उस पर अपने अधिकार का प्रयोग उस मामले के लिए उपयुक्त तरीके से करना अनिवार्य है जब कोई पक्ष रुचि रखता है और उसे उस ओर से कदम उठाने का अधिकार है और अधिकार के प्रयोग के लिए परिस्थितियां मौजूद दिखाई देती हैं।भले ही क़ानून में उपयोग किए गए शब्द प्रथम दृष्टया अदालतों को सक्षम बनाते हैं, वे आसानी से किसी नागरिक के अधिकार-सार्वजनिक या निजी-को लागू करने में सहायता के लिए निवेश की गई शक्ति का प्रयोग करने के कर्तव्य का अनुमान लगाएंगे।"38. न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर ने उपरोक्त पर विस्तार से विचार किया था।

डी.

ई.

नगर परिषद, रतलाम बनाम श्री वर्दिचन में सिद्धांत और

एफ.

अन्य, (1980) 4 एससीसी 162।उपरोक्त मामला एक ऐसा मामला था जिसमें नगर परिषद रतलाम को जनता के लिए कुछ कर्तव्य सौंपे गए थे जिन्हें निवासियों द्वारा धारा 133

Cr.P.C के माध्यम से लागू करने की मांग की गई थी, जहां मजिस्ट्रेट ने नगर निगम को कुछ निर्देश जारी किए थे जिन्हें इस न्यायालय में चुनौती दी गई थी।न्यायमूर्ति कृष्णा

अय्यर ने फैसले के पैराग्राफ 9 में बेंजामिन बिसरायली का हवाला दिया है।

जी.

कहा गयाः- "9. ....."सारी शक्ति एक विश्वास है-कि हम इसके प्रयोग के लिए जवाबदेह हैं-कि, लोगों से, और लोगों के लिए, सभी स्रोत, और सभी का अस्तित्व होना चाहिए।" विवेक एक कर्तव्य बन जाता है जब लाभार्थी अपने सौम्य अभ्यास के लिए परिस्थितियों को घर लाता है।"

एच.

371

गुरुसीमरन सिंह नरूला बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।] ए.

ए.

39. न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में, इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गईं कि न्यायिक प्रक्रिया में की गई सकारात्मक कार्रवाई उपचार को प्रभावी बनाना है, जिसमें विफल रहने पर अधिकार निष्फल हो जाता है।निर्णय के पैराग्राफ 16 में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैंः-

"16.....न्यायिक प्रक्रिया की प्रकृति विशुद्ध रूप से निर्णयात्मक नहीं है और न ही यह कार्यात्मक रूप से केवल एक अंपायर की है।उपचार को प्रभावी बनाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करना अधिकार का सार है जो अन्यथा निर्जंतुक हो जाता है।

बी.

40. न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने यह भी कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार शासन का सर्वोपरि सिद्धांत है।पैराग्राफ 24 में निम्नलिखित देखा गया हैः-

सी.

"24. .....राज्य यह महसूस करेगा कि अनुच्छेद 47 इसे शासन का एक सर्वोपरि सिद्धांत बनाता है कि 'अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से एक के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए' कदम उठाए जाते हैं।

डी.

41. प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया है जिसमें पराबैंगनी यूवी किरणों के कीटाणुनाशक/खाद्य खाद्य पदार्थों जैसे फलों और सब्जियों के उपयोग के बारे में विवरण उद्धृत किया गया है।अतिरिक्त हलफनामे में, 'परमाणु ऊर्जा (खाद्य और संबद्ध

उत्पादों का विकिरण प्रसंस्करण) नियम, 2012' नाम के नियमों पर भरोसा किया गया है, जो नियमों की आवश्यकता है कि कोई भी व्यक्ति नियमों के तहत खाद्य और संबद्ध उत्पादों के विकिरण प्रसंस्करण के लिए लाइसेंस प्राप्त किए बिना सुविधा का संचालन नहीं करेगा।सुविधा को खाद्य और संबद्ध उत्पादों के लिए विकिरण प्रसंस्करण सुविधा के रूप में परिभाषित किया गया है।भोजन और अन्य वस्तुओं के संबंध में यूवी किरणों के उपयोग के लिए विकिरण के कई नियामक उपाय हैं।हमारा विचार है कि मानव शरीर पर कीटाणुनाशक का छिड़काव करने, मानव शरीर के खिलाफ धूमन या यूवी किरणों के उपयोग के लिए, नियामक व्यवस्था होनी चाहिए जब प्रत्यर्थी संख्या 1 का स्वयं यह विचार हो कि इस तरह के उपयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है।प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास अधिनियम, 2005 के तहत व्यापक शक्तियां और जिम्मेदारियां हैं, जिनका उपयोग स्थिति को सुधारने के लिए किया जा सकता था।यदि मानव शरीर पर कीटाणुनाशक का उपयोग लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और प्रत्यर्थी संख्या 1 केवल यह कहकर नहीं रुक सकता है कि इस तरह के उपयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है।

ई.

एफ.

जी.

42. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि निम्नलिखित निर्देश जारी करके रिट याचिका का निपटारा करने में न्याय का उद्देश्य पूरा किया जाए:-

एच.

i) प्रत्यर्थी संख्या 1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मनुष्यों के लिए रासायनिक/जैविक कीटाणुनाशकों के छिड़काव या धूमन से जुड़ी कीटाणुशोधन सुरंगों के उपयोग पर प्रतिबंध/विनियमन के संबंध में विचार कर सकता है और आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है।

या

बी.

(ii) मनुष्य के कृत्रिम पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने के संबंध में प्रत्यर्थीगणओं द्वारा ऊपर बताए गए समान विचार और निर्देश होंगे।

iii) सामान्य रूप से लोगों की स्वास्थ्य संबंधी चिंता को देखते हुए, उपरोक्त प्रक्रिया को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा एक महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

सी.

अंकित ज्ञान

लिखित याचिका का निपटारा किया गया।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.